न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी :बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 67/2020

अपीलांट

1. खीमसिंह पुत्र श्री हरिसिंह
2. सुमेरसिंह पुत्र श्री हरिसिंह
3. हरिसिंह पुत्र श्री बाघसिंह जातिगण पुरोहित निवासीगण तालकिया, तहसील जैतारण जिला पाली

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. अर्जुनसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी तालकिया, तहसील जैतारण जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री मोहम्मद शरीफ काजी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

–: निर्णय :–

दिनांकः– 23/12/2021

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा राजस्व विविध संख्या 124/2020 बउनवान खीमसिंह बनाम अर्जुनसिंह में पारित आदेश दिनांक 23.11.2020 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 107 रकबा 22 बीघा 8 बिस्वा के संबध में प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 107 रकबा 22 बीघा 8 बिस्वा बसामलाती है एवं प्रस्तुत जमाबंदी के अनुसार मौके पर किसी प्रकार से विभाजन किया हुआ नहीं है। रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी का न तो रेकर्डेड खातेदार है न ही किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा सुपुर्द किया गया है। रेस्पोडेन्ट के पास वादग्रस्त आराजी के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

हक–हकूक को कोई दस्तावेज नहीं है, जिससे अतिक्रमी किसी प्रकार का रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादग्रस्त आराजी अविभाजित है, रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रथम सेटलमेंट को कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश के कारण रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण करने एवं निर्माण करने पर उतारू है, अगर वह ऐसा करने मे कामयाब हो गया तो इससे अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति होगी। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यो का प्रत्युत्तर देते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 107 रकबा 22 बीघा 8 बिस्वा के संबध में प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। वादग्रस्त आराजी कई वर्षो पूर्व से मौके पर बंटी हुई है। रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी पर मौके पर मकान बने हुए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यो को ध्यान मे रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 107 रकबा 22 बीघा 8 बिस्वा के संबध में प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। अपीलांट ने हाजा न्यायालय के समक्ष मौका फर्द दिनांक 06.01.2021 प्रस्तुत की है, जिसमे यह स्पष्ट अंकन है कि उक्त खसरा नंबर में पूर्व से ही पक्का मकान बना हुआ है जिसके उपर और निर्माण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बिजली का बिल भी प्रस्तुत किया है। जिससे यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का मकान बना हुआ है एवं वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए अपूर्णनीय क्षति, सुविध का संतुलन बिन्दुओ को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित किया है। जिसमे हमे किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा राजस्व विविध संख्या 124/2020 बउनवान खीमसिंह बनाम अर्जुनसिंह में पारित आदेश दिनांक 23.11.2020 को यथावत

रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 23/02/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली